



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102026-277095
CG-DL-E-13102026-277095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 794]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2026/आश्विन 15, 1948

No. 794]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2026/ASVINA 15, 1948

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर 2026

सा.का.नि. 865 (अ).—कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2026 का निम्नलिखित मसौदा, जिसे केंद्रीय सरकार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित करने के लिए प्रकाशित किया गया है और इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा, जिस दिन भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिनमें ये नियम शामिल हैं, जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी;

ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव (पी एंड एस-1 अनुभाग), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं. 4618, जोन 6, चौथी मंजिल, जीपीओए -3, अफ्रीका एवेन्यू, नेताजी नगर, नई दिल्ली 110023 को प्रेषित की जा सकती हैं। लिफाफे के ऊपर कृपया यह लिखा जा सकता है:

"कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 में निहित नियमों में संशोधन के मसौदे पर टिप्पणियां/सुझाव"।

आपत्तियां और सुझाव l.khamminthang@mea.gov.in पर [एमएस-ऑफिस वर्ड प्रारूप में ईमेल के माध्यम से भी भेजे जा सकते](#) हैं। ई-मेल का विषय "कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 में निहित नियमों में संशोधन के मसौदे पर टिप्पणियां/सुझाव" होना चाहिए।

मसौदा संशोधन नियम

सा.का.नि. (अ).— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों को कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
2. कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 (इसके बाद मूल नियमों के रूप में संदर्भित) में, नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -
"(खक) 'सहायक कोयला अधीक्षक ग्रेड- I' का अर्थ है कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रक संगठन, सहायक कोयला अधीक्षक ग्रेड I (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति।
(खख) 'सहायक कोयला अधीक्षक ग्रेड-II' का अर्थ है कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रक संगठन, सहायक कोयला अधीक्षक ग्रेड II (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति।
3. मूल नियमों में, नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -
"(घक) 'कोयला अधीक्षक' का अर्थ है कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला अधीक्षक (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति"
4. मूल नियमों में, नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -
"(ङक) 'उप कोयला नियंत्रक' का अर्थ है कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रक संगठन, उप कोयला नियंत्रक (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति।
5. मूल नियमों में, नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (च) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -
(चक) 'खान बंद करने' का अर्थ है खनन गतिविधियों के पूरा होने पर खान को बंद करने और सुरक्षित करने की व्यापक प्रक्रिया। इसमें पर्यावरण, स्थानीय समुदायों और खनन स्थल की सुरक्षा, सामाजिक प्रभावों को कम करने और इनका समाधान करने, भूमि पुनरुद्धार को निष्पादित करने और स्थल को स्वीकार्य स्तर पर बहाल करने के लिए डिज़ाइन किए गए कार्यों और कार्यनीतियों का एक क्रम शामिल है।
(चख) 'खान बंद करने संबंधी योजना' का अर्थ है एक औपचारिक दस्तावेज जिसमें प्रारंभिक चरण से लागू किए जाने वाले वित्तीय प्रावधान और गतिविधियां शामिल हैं और जिन्हें प्रतिकूल दीर्घकालिक पर्यावरणीय, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कम करने; और स्वीकार्य स्तर तक एक उपयुक्त स्थलाकृति बनाने के लिए खनन चक्र के संचालन के दौरान जारी रखा जाता है।
(चग) 'खनन योजना' का अर्थ है संबंधित क्षेत्र में कोयला भंडार के विकास के लिए विधिवत अनुमोदित खनन योजना। इसका वही अर्थ होगा जो एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में दिया गया है।
(चघ) 'क्षेत्रीय प्रमुख' का अर्थ है कोयला अधीक्षक या कोई अन्य अधिकारी जो सहायक कोयला अधीक्षक ग्रेड-II के पद से नीचे का न हो है, जिसे कोयला नियंत्रक द्वारा कोयला नियंत्रक संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों का नेतृत्व करने के लिए लिखित रूप में विधिवत अधिकृत किया गया हो।
6. मूल नियमों में, नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -
"(झक) 'सर्वेक्षक' का अर्थ सर्वेक्षण अधिकारी या वरिष्ठ खान सर्वेक्षक से है जिसे कोयला नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया है।
7. मूल नियमों में, नियम 2 के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -
"नियम 2क - अधिकारियों का अधिकार क्षेत्र:

(1) कोयला नियंत्रक अपने अधीनस्थ अधिकारियों के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार की सीमाओं के साथ-साथ शक्तियों और कार्यों को निर्धारित कर सकेगा।

(2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित अधिकारी कोयला नियंत्रक के अधीनस्थ होंगे:

- i. उप कोयला नियंत्रक
- ii. क्षेत्रीय प्रमुख
- iii. कोयला अधीक्षक
- iv. सहायक कोयला अधीक्षक
- v. सर्वेक्षक।

8. प्रमुख नियमों में, नियम 9 के बाद, निम्नलिखित नियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-

"नियम 9क: सक्षम प्राधिकारी: कोयला नियंत्रक या कोयला नियंत्रक द्वारा लिखित रूप में अधिकृत कोयला नियंत्रक संगठन का अधिकारी अधिनियम और नियमों से जुड़े प्रयोजनों के लिए खनन योजना के अनुपालन का निर्धारण करने के लिए सक्षम होगा और उन मुद्दों को छोड़कर, जो विशेष रूप से खान सुरक्षा महानिदेशक या अन्य वैधानिक नियामक निकायों द्वारा शासित हैं।

नियम 9ख - खनन पट्टे के तहत खनन कार्य- (1) खनन पट्टे का कोई भी धारक खनन योजना के अनुसार को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में खनन कार्य आरंभ या कार्यान्वित नहीं करेगा।

(2) यदि खनन कार्य खनन योजना के अनुसार नहीं किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी कोलियरी मालिक को उल्लंघन के बारे में सूचित करेगा और उसे एक निर्दिष्ट समय के भीतर उल्लंघन को सुधारने का निर्देश देगा।

(3) यदि निर्दिष्ट समयावधि के भीतर उल्लंघन में सुधार नहीं किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकारी कोलियरी मालिक को 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है कि खनन कार्यों को निलंबित क्यों नहीं किया जाना चाहिए। यदि कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी सभी या किसी भी खनन कार्यों को निलंबित कर सकता है और केवल ऐसे कार्यों को जारी रखने की अनुमति दे सकता है जो खनन की स्थिति को खनन योजना के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

(4) इस नियम में किसी बात के होने के बावजूद भी, जहां सक्षम प्राधिकारी की राय है कि सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए, या किसी आसन्न या अपूरणीय क्षति को रोकने के लिए, ऐसा करना समीचीन है, वह सूचना के समय या उसके बाद कभी भी, लिखित रूप में दर्ज कारणों से, सभी या किसी भी खनन कार्यों को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है और केवल ऐसे कार्यों को करने की अनुमति दे सकता है जो खनन की स्थिति को खनन योजना के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक हों।

(5) सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, उल्लंघन के सुधार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन, या किसी अन्य कारण से जो प्राधिकरण न्याय के हित में उचित समझे, निलंबन को रद्द कर सकेगा।

नियम 9 ग: - वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करना:

परियोजना प्रस्तावक का कंपनी बोर्ड, और यदि परियोजना प्रस्तावक एक निगमित कंपनी नहीं है, तो कोलियरी का मालिक कोयला नियंत्रक को वार्षिक रूप से एक घोषणा प्रस्तुत करेगा कि कोयला/लिग्नाइट खान के लिए सभी खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना और सभी लागू कानूनों के अनुसार किए गए हैं।

5. मूल नियमों में, नियम 16 के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"नियम 17:- पुनरीक्षण:

(1) नियम 9ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप कोयला नियंत्रक द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे आदेश मिलने के तीस दिनों के भीतर, आदेश के पुनरीक्षण के लिए कोयला नियंत्रक को आवेदन कर सकता है।

(2) नियम 9ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप कोयला नियंत्रक के अधीनस्थ अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे आदेश मिलने के तीस दिनों के भीतर, आदेश के पुनरीक्षण के लिए उप कोयला नियंत्रक के पास आवेदन कर सकता है।

स्पष्टीकरण: इस उप-नियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उप कोयला नियंत्रक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोयला नियंत्रक के समक्ष कोई और पुनरीक्षण नहीं लाया जाएगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) के तहत पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर तीस दिनों की उक्त अवधि के बाद विचार किया जा सकता है यदि आवेदक कोयला नियंत्रक या उप कोयला नियंत्रक, जैसा भी मामला हो, को संतुष्ट करता है कि उसके पास समय-सीमा के भीतर आवेदन नहीं करने के लिए पर्याप्त कारण था।

(4) प्रत्येक आदेश, जिसके विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत किया गया है, का पालन, कोयला नियंत्रक या उप कोयला नियंत्रक, जैसा भी मामला हो, का निर्णय प्राप्त होने तक किया जाएगा।

बशर्ते कि कोयला नियंत्रक या उप कोयला नियंत्रक, जैसा भी मामला हो, पुनरीक्षण आवेदन के लंबित रहने के दौरान आक्षेपित आदेश के कार्यान्वयन को निलंबित कर सकता है।

(5) पुनरीक्षण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, कोयला नियंत्रक या उप कोयला नियंत्रक, जैसा भी मामला हो, पक्षकारों को सुनने का उचित अवसर देने के बाद, आक्षेपित आदेश की पुष्टि, संशोधन या अपास्त कर सकता है।

(6) इस नियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत प्रत्येक आवेदन के साथ दस हजार रुपए का बैंक ड्राफ्ट लगाना होगा जो वेतन और लेखा अधिकारी, 'कोयला नियंत्रक संगठन' के नाम पर अनुसूचित बैंक पर आहरित आवेदन शुल्क के रूप में नई दिल्ली में देय होगा या यह आवेदन शुल्क कोयला नियंत्रक संगठन के नामित बैंक खाते में बैंक अंतरण के माध्यम से देय होगा।

[फा. सं. पीएस1-12012/7/2024-पीएस1]

रूपिंदर बरार, अपर सचिव

टिप्पण:- मूल नियमों को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 540 (अ), दिनांक 25 अगस्त, 2004 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद में सा.का.नि. 546 (अ) दिनांक 9 अगस्त, 2021 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसे सा.का.नि. 917(अ) दिनांक 23 दिसंबर, 2025, सा.का.नि. 710(अ) दिनांक 6 अगस्त, 2026 और सा.का.नि. 797 (अ) दिनांक 9 सितंबर, 2026 के माध्यम से संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2026.

G.S.R. 865(E).—The following draft of Colliery Control (Amendment) Rules, 2026, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers that are conferred by Section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulations) Act, 1957 (67 of 1957), is hereby published for informing all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these rules are made available to public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (P&S-I section), Ministry of Coal, Government of India, Room No. 4618, Zone 6, 4th Floor, GPOA-3, Africa Avenue, Netaji Nagar, New Delhi 110023. The envelope may kindly be superscripted on top with:

“Comments/suggestions on the draft amendment to rules contained in Colliery Control Rules, 2004”.

Objections and suggestions may also be sent through email in MS-Office Word format at L.khamminthang@mea.gov.in. The subject of the e-mail should be “Comments/suggestions on the draft amendment to rules contained in Colliery Control Rules, 2004”.

DRAFT AMENDMENT RULES

GSR(E).— In exercise of powers conferred by Section 18 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules to further amend the Colliery Control Rules, 2004, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Colliery Control (Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Colliery Control Rules, 2004 (hereinafter referred to as principal rules), after clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2, the following clauses shall be inserted, namely:—
“(ba) ‘Assistant Coal Superintendent Grade-I’ means the person appointed as such by the Central Government under the provisions of the Ministry of Coal, the Coal Controller’s Organisation, Assistant Coal Superintendent Grade I (Group ‘A’ Post), Recruitment Rules, 2025.
(bb) ‘Assistant Coal Superintendent Grade-II’ means the person appointed as such by the Central Government under the provisions of the Ministry of Coal, the Coal Controller’s Organisation, Assistant Coal Superintendent Grade II (Group ‘A’ Post), Recruitment Rules, 2025.”
3. In the principal rules, after clause (d) of sub-rule (1) of Rule 2, the following clause shall be inserted, namely:—
“(da) ‘Coal Superintendent’ means the person appointed as such by the Central Government under the provisions of the Ministry of Coal, the Coal Controller’s Organisation, Coal Superintendent (Group ‘A’ Post), Recruitment Rules, 2025”
4. In the principal rules, after clause (e) of sub-rule (1) of Rule 2, the following clause shall be inserted, namely:—
“(ea) ‘Deputy Coal Controller’ means the person appointed as such by the Central Government under the provisions of the Ministry of Coal, the Coal Controller’s Organisation, Deputy Coal Controller (Group ‘A’ Post), Recruitment Rules, 2025.”
5. In the principal rules, after clause (f) of sub-rule (1) of Rule 2, the following clauses shall be inserted, namely:—
(fa) ‘Mine Closure’ means the comprehensive process of closing and securing a mine upon completion of mining activities. This involves a sequence of actions and strategies designed to safeguard the environment, local communities, and mining site, mitigating and addressing social impacts, executing land reclamation and restoring the site to an acceptable level.
(fb) ‘Mine Closure Plan’ means a formal document that includes financial provisions and activities to be implemented from an early stage and continued throughout the operation of a mining cycle to minimize adverse long-term environmental, physical, social and economic impacts; and to create a suitable landform to an acceptable level.
(fc) ‘Mining plan’ means a Mining Plan duly approved for development of coal deposit in the area concerned. It will have the same meaning as given in the MMDR Act, 1957.
(fd) ‘Regional Head’ means the Coal Superintendent or any other officer not below the rank of the Assistant Coal Superintendent Grade-II duly authorised as such in writing by the Coal Controller to head the Regional Offices of Coal Controller Organization.
6. In the principal rules, after clause (i) of sub-rule (1) of Rule 2, the following clauses shall be inserted, namely:—
“(ia) ‘Surveyor’ means Survey officer or Senior Mines Surveyor duly authorised as such in writing by the Coal Controller.”

7. In the principal rules, after Rule 2, the following rule shall be inserted, namely:-

“Rule 2A - Jurisdiction of Officers:

(1) The Coal Controller may prescribe the powers and functions along with limits of the territorial jurisdiction of the officers subordinate thereto.

(2) For the purposes of these Rules, the following officers shall be subordinate to Coal Controller:

- i. Deputy Coal Controller
- ii. Regional Head
- iii. Coal Superintendent
- iv. Assistant Coal Superintendent
- v. Surveyor.”

8. In the principal rules, after Rule 9, the following rules shall be inserted, namely:-

“Rule 9A: Competent Authority: The Coal Controller or an officer of the Coal Controller Organisation authorised in writing by the Coal Controller shall be competent to determine the compliance of a mining plan for the purposes connected with the Act and the Rules and except for issues that are specifically governed by the Director General of Mines Safety or other statutory regulatory bodies.

Rule 9B - Mining operations under mining lease— (1) No holder of a mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the mining plan.

(2) If the mining operations are not carried out in accordance with the mining plan, a competent authority shall inform the colliery owner about the violation and direct him to rectify the violation within a specified time.

(3) If the violation is not rectified within the specified time period, the competent authority may issue a show cause notice of 15 days to the colliery owner as to why the mining operations should not be suspended. If no satisfactory reply is received within 15 days of the receipt of the show cause notice, the competent authority may suspend all or any of the mining operations and may permit continuance of only such operations as may be required to bring the mining conditions in conformity with the mining plan.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, where the competent authority is of the opinion that, having regard to the interests of public safety, protection of the environment, or for preventing any imminent or irreparable harm, it is expedient so to do, he may, at the time of intimation or anytime thereafter, for reasons recorded in writing, temporarily suspend all or any of the mining operations and permit carrying out of only such operations as may be required to bring the mining conditions in conformity with the mining plan.

(5) The competent authority may, for reasons to be recorded in writing, revoke the suspension upon the rectification of the violation, compliance with the directions issued by the competent authority, or for any other reason that the authority deems fit in the interest of justice.

Rule 9C :- Submission of Annual Declaration:

The Company Board of the project proponent, and in case the project proponent is not an incorporated company, the owner of the colliery shall submit a declaration to the Coal Controller annually that all mining operations for the coal/lignite mine have been carried out as per the approved mining plan and all applicable laws.”

5. In the principal rules, after Rule 16, the following shall be inserted, namely:-

“Rule 17:- Revision:

(1) Any person aggrieved by an order made by the Deputy Coal Controller in exercise of the powers conferred on it by Rule 9B may, within thirty days of the communication of the order to him, apply to the Coal Controller for a revision of the order.

(2) Any person aggrieved by an order made by an officer subordinate to the Deputy Coal Controller, in exercise of the powers conferred on it by Rule 9B may, within thirty days of the communication of the order to him, apply to the Deputy Coal Controller for a revision of the order.

Explanation: No further revision shall lie before the Coal Controller against an order passed by the Deputy Coal Controller in exercise of powers conferred on him by this sub-rule.

(3) An application for revision under sub-rules (1) and (2) may be entertained after the said period of thirty days if the applicant satisfies the Coal Controller or the Deputy Coal Controller, as the case may be, that he had sufficient cause for not making the application within time.

(4) Every order against which a revision application has been preferred shall be complied with pending receipt of the decision of the Coal Controller or Deputy Coal Controller, as the case may be.

Provided that the Coal Controller or the Deputy Coal Controller, as the case may be, may suspend the operation of the impugned order during the pendency of the revision application.

(5) On receipt of an application for revision, the Coal Controller or Deputy Coal Controller, as the case maybe, after giving a reasonable opportunity of being heard to the parties, may confirm, modify or set aside the impugned order.

(6) Every application submitted under the provisions of this rule shall be accompanied by a bank draft for ten thousand rupees as application fee drawn on a scheduled bank in the name of Pay and Accounts Officer, 'Coal Controller Organization' payable at New Delhi or by way of a bank transfer to the designated bank account of the Coal Controller Organization."

[F. No. PS1-12012/7/2024-PS1]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 540(E), dated the 25th August, 2004 and subsequently amended vide G.S.R. 546(E) dated the 9th August, 2021, vide G.S.R. 917(E) dated the 23rd December, 2025, vide G.S.R. 710(E) dated the 6th August, 2026, and vide G.S.R. 797(E) dated the 9th September, 2026.